आरबीई सं. 130/2018

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/3 नई दिल्ली, दिनांक 10.09.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां

विषय: सुविधा पास अभ्यर्पण पर चार वर्षों के ब्लॉक (अर्थात् 2018-2021 और आगे) में एक बार वैकल्पिक 'अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत' (एआईएलटीसी) सुविधा योजना।

संदर्भ: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 27.03.2018 का कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/15/2017-स्थापना क-IV।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने उपर्युक्त संदर्भाधीन कार्यालय ज्ञापन के तहत केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 अर्थात् सीसीएस (एलटीसी) नियमों के अनुसार रेल कर्मचारियों को एआईएलटीसी सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के संबंध में संसूचित किया है।

2. तदनुसार, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) के नियम 1(3)(iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने उन रेल कर्मचारियों और अन्य पात्र व्यक्तियों (अर्थात् सुविधा पास के लिए पात्र) को उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें उन्होंने एआईएलटीसी सुविधा का विकल्प दिया है, में सुविधा पासों की सुविधा से बाहर रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। आवेदक दिनांक 27.03.2018 के संदर्भाधीन कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक-I के रूप में प्रतिलिपि संलग्न) के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन एआईएलटीसी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/शर्तों के अध्यधीन भी होगी।

3. ये आदेश (i) सुविधा पास के लिए पात्र रेल सेवकों; (ii) सरकार के अन्य विभागों के पदाधिकारी, जो रेलवे में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत हैं और सुविधा पास के पात्र हैं; (iii) अन्य पदाधिकारी, जो रेलवे में सेवारत हैं और सुविधा पास के लिए पात्र हैं; और (iv) सुविधा पास के लिए पात्र लेखापरीक्षा विभाग (रेलवे) के पदाधिकारी इन सभी के लिए लागू हैं। संबंधित सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों के निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करेंगे। एआईएलटीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय जिन्हें एक भी सुविधा पास रोके जाने की लघु शास्ति लगी हुई है तो ये आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

4. वे पदाधिकारी, जो एआईएलटीसी सुविधा का विकल्प देते हैं, उन्हें 'सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाणपत्र' (पीपीएससी) जारी किया जाएगा जो एआईएलटीसी सुविधा प्राप्त करने की पूर्वापेक्षा है। 'पास जारीकर्ता प्राधिकारी (पीआईए)' निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए, अनुलग्नक-II में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, पीपीएससी जारी करेंगे:-

(i) पीपीएससी जारी करवाने हेतु आवेदक को संबंधित पीआईए को आवेदन (अनुलग्नक-III में दिए गए फार्मेट में) प्रस्तुत करना होगा।

(ii) तत्पश्चात, पीआईए सर्वप्रथम यह सत्यापित करने के लिए आवेदक के 'सुविधा पास खाता' (पीपीए) की जांच करेंगे कि आवेदक ने उस कैलेण्डर वर्ष में पहले से ही कोई सुविधा पास लिया है अथवा नहीं।

(iii) यदि आवेदक ने उस कैलेण्डर वर्ष में एक भी सुविधा पास पहले से ही ले लिया हो तो पीपीएससी जारी करवाने का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक को अनुलग्नक-IV में दिए गए फार्मेट के अनुसार सूचित कर दिया जाऐगा।

(iv) यदि आवेदक ने उस कैलेण्डर वर्ष में एक भी सुविधा पास नहीं लिया हो तो संबंधित पीआईए, पीपीए में एक प्रविष्टि (दिनांक ../../.... को पीपीएससी जारी किया गया) करके पीपीए ब्लॉक कर देगें ताकि आवेदक को उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें उसने एआईएलटीसी सुविधा का विकल्प दिया है, के दौरान गलती से भी कोई पास जारी न हो पाये।

(v) यदि पति और पत्नी दोनों सुविधा पास के पात्र हों और उनमें से कोई भी एक एआईएलटीसी सुविधा का विकल्प देता है, तो उस कैलेण्डर वर्ष में दोनों को अपनी-अपनी पात्रता वाले सुविधा पासों का अभ्यर्पण करना होगा। इस स्थिति में पीआईए, पीपीएससी के भाग-II को विधिवत रूप से भरकर एक संयुक्त एकल पीपीएससी जारी करेंगे। ऐसे मामलों में इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) यदि एआईएलटीसी सुविधा के लिए आवेदन करते समय पति-पत्नी दोनों का पीपीए एक ही पीआईए के पास हो तो पीआईए उन दोनों से एक संयुक्त आवेदन प्राप्त करने के बाद संयुक्त पीपीएससी जारी करेंगे।

(ख) यदि पति-पत्नी दोनों के पीआईए अलग-अलग हों (किसी भी कारणवश अथवा उनके अलग-अलग रेलों/मंडलों/इकाइयों आदि में काम करने के कारण), तो मुख्य आवेदक के पति/पत्नी के पक्ष में जारी किए जाने वाले (अनुलग्नक-V में दिए गए फार्मेट के अनुसार दूसरे पीआईए द्वारा) "पीपीएससी के बदले पुष्टि नोट (सीएन)" प्राप्त होने पर ही आवेदक के संबंधित पीआईए द्वारा पीपीएससी जारी किया जाएगा। पति/पत्नि पुष्टि नोट (सीएन) के लिए अनुलग्नक-VI में दिए गए फार्मेट के अनुसार आवेदन करेंगे।

(vi) प्रतिनियुक्ति (अर्थात् किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत रेल कर्मचारी) के मामले में सांविधिक नियमों के अनुसार सुविधा पास के लिए पात्र होने पर संबंधित पीआईए उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार पीपीएससी जारी करेंगे।

(vii) पीआईए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य-दिवस के भीतर पीपीएससी/सीएन जारी करेंगे या आवेदन रद्द/अस्वीकृत करने, जैसा भी मामला हो, के संबंध में आवेदक को सूचित करेंगे।

(viii) पीपीएससी/सीएन जारी करने के बाद, किसी भी कारण (प्रशासनिक या व्यक्तिगत) से एआईएलटीसी सुविधा का लाभ न उठाए जाने पर पीपीएससी रद्द करने और पीपीए पुन: खोलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ix) आवेदक को "पीपीएससी" जारी करने के बाद पीआईए की भूमिका समाप्त हो जाएगी। एआईएलटीसी लेने के दौरान अग्रिम/प्रतिपूर्ति/यात्रा पात्रता जैसे मामलों का निपटान सीसीएस (एलटीसी) नियमों में निर्धारित अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ पीपीएससी को मूल दस्तावेज मानते हुए, यात्रा भत्ता दावों से संबंधित कार्य करने वाले कार्मिक/लेखा विभाग के अन्य संबंधित अनुभागों द्वारा किया जाएगा।

(x) विशेष परिस्थितियों में ही डुप्लिकेट पीपीएससी/सीएन प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित पीआईए द्वारा जारी किया जा सकता है।

5. रेलवे समय-समय पर यथा संशोधित सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के अनुसार, बिना कोई बदलाव किए एआईएलटीसी सुविधा का कड़ाई से प्रबंधन करेगा। यह नोट किया जाए कि 'गृह नगर छुट्टी यात्रा/गृह नगर परिवर्तित छुट्टी यात्रा रियायत' रेल सेवकों को अनुमेय नहीं है और एलटीसी के लाभार्थियों (जैसे परिवार के सदस्यों, आश्रितों) आश्रित मानदण्ड आदि की परिभाषाएं रेल सेवक (पास) नियम, 1986 से भिन्न हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.09.2014 के पत्र सं. 31011/7/2013-स्था.(क)-IV की एक प्रति, जिसमें "नव नियुक्त" की एलटीसी प्रात्रता को शासित करने से संबंधित स्पष्टीकरण और उदाहरण दिए गए हैं, अनुलग्नक-VII के रूप में संलग्न है। तदनुसार, एआईएलटीसी सुविधा का विनियमन पूर्णत: सीसीएस (एलटीसी) नियमों में यथा निर्धारित शर्तों एवं परिभाषाओं द्वारा किया जाएगा।

6. एआईएलटीसी सुविधा लेने की यात्रा पात्रता से संबंधित वर्तमान में लागू निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियाँ संलग्न हैं:-

जारीकर्ता	विवरण	अनुलग्नक संख्या
वित्त मंत्रालय	दिनांक 13.07.2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV	अनुलग्नक-VIII
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	दिनांक 19.09.2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017-स्था.क-IV	अनुलग्नक-IX
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	दिनांक 18.01.2018 का कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017-स्था.क-IV	अनुलग्नक-X

यह नोट किया जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 19.09.2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन के तहत विनिर्दिष्ट किया है कि (i) एलटीसी के लिए यात्रा पात्रता वेतन मैट्रिक्स (पैरा 3) के लेवल 6 से 8 के कर्मचारियों की हवाई जहाज द्वारा यात्रा की पात्रता को छोड़कर, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन के तहत यथा अधिसूचित यात्रा भत्ता अर्हता के समान ही रहेंगी। (ii) अन्य शर्तें जो एलटीसी सुविधा (पैरा 4)को शासित करेंगी। अत:, सिविल पक्ष में प्रचलित समान पात्रता (अर्थात् रेलवे पात्रता के अनुसार नहीं) एआईएलटीसी सुविधा प्राप्त करने के लिए लागू होगी।

7. सारांश रूप में, कुछ आशोधनों के साथ उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा निहित स्थिति नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में दी गई है:-

पे मैट्रिक्स में वेतन लेवल	एआईएलटीसी के लिए यात्रा/एलटीसी पात्रता
लेवल 1 से 5	परिवहन के विभिन्न साधनों में यात्रा पात्रता/यात्रा श्रेणी आदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017-स्था.क-IV में निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का. ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के अनुसार होगी।
लेवल 6 से 8	वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV में विनिर्दिष्ट हवाई यात्रा की पात्रता एलटीसी के लिए लागू नहीं है। बहरहाल, अन्य सभी पात्रताएं वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन होंगी।
लेवल 9 से 13 और एनएफएसएजी अधिकारी	परिवहन के विभिन्न साधनों में यात्रा पात्रता/यात्रा श्रेणी आदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017-स्था.क-IV में निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का. ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के अनुसार होगी।

लेवल 14 और उससे ऊपर (एनएफएसएजी अधिकारियों को छोड़कर)	परिवहन के विभिन्न साधनों में यात्रा की पात्रता/यात्रा श्रेणी आदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017-स्था.क-IV में निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का. ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के अनुसार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017- स्था.क-IV के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार होगी।

8. क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों को सूचित किया जाता है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सरकारी वेबसाइट (अर्थात् वर्तमान में **(i)** https://dopt.gov.in/ccs-ltc-rules और **(ii)** https://dopt.gov.in/notifications/oms-and-orders/ ⇒ Establishment ⇒ LTC Rules) पर उपलब्ध मौजूदा सीसीएस (एलटीसी) नियमों और स्पष्टीकरण से अवगत रहें। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं उनकी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए सीसीएस (एलटीसी) नियमों से संबंधित कार्यालय ज्ञापन/अधिसूचनाएं इस आदेश द्वारा दी जा रही एआईएलटीसी सुविधा के विनियमन के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अत:, इन आदेशों/अनुदेशों को रेल मंत्रालय द्वारा अलग से परिपत्रित नहीं किया जाएगा। तदनुसार, रेलें और उत्पादन इकाइयॉं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सरकारी वेबसाइट नियमित रूप से देखें और एलटीसी आदि के दावों का निपटान करने के लिए और समय-समय पर जारी नवीनतम अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए उन्हें डाउनलोड करें।

9. बहरहाल, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यात्रा भत्ता से संबंधित नियमों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर इसे जांच और उसका उपयुक्त स्पष्टीकरण/उत्तर जारी करने के लिए बोर्ड कार्यालय में नोडल निदेशालय अर्थात् वित्त स्थापना निदेशालय को भेजा जाए।

10. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: अनुलग्नक I से X

सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/3 **नई दिल्ली, दिनांक 10.09.2018**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सिचव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. जनरल सेक्रेटरी, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सेक्रेटरी, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन।
7. सिचव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
8. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसएसए, कमरा नं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सिचव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एशोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, इण्डियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलयम, सिकन्दराबाद।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।
12. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेल कर्मचारी संघ, कमरा नं. 7, रेल भवन।
15. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया ओबीसी रेल कर्मचारी संघ (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा नं. 48, रेल भवन।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

अनुलग्नक -I

सं.31011/15/2017-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 27 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः रेल मंत्रालय के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारी जिनके जीवनसाथी रेल मंत्रालय के कर्मचारी हैं, को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नौजूदा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के अनुदेशों के अनुसार भारतीय रेल में कार्यरत सरकारी सेवक और उनके जीवनसाथी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें "निशुल्क पास" की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे कर्मचारियों (और ऐसे कर्मचारी जिनके जीवनसाथी रेलवे सेवक हैं) को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दायरे में लाने की सिफारिश की है।

2. रेलवे मंत्रालय के परामर्श से इस विभाग ने इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन रेलवे कर्मचारियों को सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष में एक बार "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है:

(i) रेलवे कर्मचारी केवल सेवक (पास) नियमों द्वारा पूर्णतः अभिशासित किए जाते रहेंगे और सीसीएस (एलटीसी) नियमावली के अंतर्गत उनके द्वारा "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने की सुविधा उक्त पास नियमों के संगत प्रावधान के अंतर्गत विशेष आदेश के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

(ii) रेलवे कर्मचारियों के लिए "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

(iii) किसी वर्ष में "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने के पश्चात् भी, रेलवे कर्मचारियों को आगामी अथवा उत्तरवर्ती शेष वर्षों में "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) रेलवे कर्मचारियों को कोई "गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत" की अनुमति नहीं होगी और इसी सादृश्य के आधार पर उन्हें कोई गृहनगर परिवर्तित छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति नहीं होगी।

(v) रेलवे कर्मचारी, उन्हें अनुमन्य विशेषाधिकार पासों को, उस कैलेण्डर वर्ष में वापस लौटा देंगे जिस वर्ष वे छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं। तथापि, वे पास नियमों के अंतर्गत यथा-अनुमन्य विशेषाधिकार टिकट आदेशों और अन्य प्रकार के पासों अर्थात् इयूटी पास, स्कूल पास, चिकित्सा आधार पर विशेष पासों आदि के पात्र बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि रेलवे कर्मचारी ने पहले ही विशेषाधिकार पास का लाभ उठा लिया है, तो उस वर्ष में उसे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी विशेषाधिकार पास हकदारी के स्थान पर वैकल्पिक छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए भी पात्र बने रहेंगे।

(vii) लाभार्थियों की परिभाषा उदाहरणार्थ परिवार के सदस्यों, आश्रितों आदि और सीसीएस (एलटीसी) नियमावली में यथा-निर्धारित अन्य शर्तें रेलवे कर्मचारियों द्वारा "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने के लिए लागू होंगी, भले ही ऐसे लाभार्थी पास नियमों के अंतर्गत विशेषाधिकार पास के हकदार न हों।

जारी.....

पूर्व पृष्ठ से:

(viii) यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, और वे "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाते हैं तो दोनों को उस कैलेण्डर वर्ष में अनुमन्य विशेषाधिकार पासों को वापस लौटाना होगा।

(ix) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिनके जीवनसाथी रेलवे में कार्यरत हैं और जो अकेले अथवा परिवार के सदस्यों के साथ अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसे/उनके लिए उस कैलेण्डर वर्ष में अनुमन्य विशेषाधिकार पासों को वापस लौटाने की शर्त के अध्यधीन उसे/उन्हें अनुमति प्रदान की जा सकती है और इस संबंध में सरकारी सेवक द्वारा एक शपथ-पत्र अपने कार्यालय में दिया जाएगा।

संजीव कुमार 27-3-18

(संजीव कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:23093176

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
6. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
7. सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन।
8. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट (अधिसूचनाएं << कार्यालय ज्ञापन/आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक-II

रेलवे बोर्ड/ रेलवे

सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (पीपीएससी)

सं._____ **दिनांक:**_____

भाग-I

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती_____, पदनाम_____, सुविधा पास खाता सं._____ने चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात_____ के लिए उनको देय कोई सुविधा पास नहीं लिया है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नाम के कर्मचारी का सुविधा पास खाता सं._____ कैलेंडर वर्ष_____ के लिए ब्लॉक कर दिया गया है.

पी. आई. ए
मुहर और तारीख

*भाग-II(पति/पत्नी के रेल कर्मचारी होने की स्थिति में ही लागू होगा)

* यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त आवेदक श्री/श्रीमती_____, पदनाम_____, सुविधा पास खाता सं._____ ऊपर भाग-I में उल्लिखित कर्मचारी की पत्नी/पति ने चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात् _____ के लिए उनको देय कोई सुविधा पास नहीं लिया है और संयुक्त आवेदकों के पास खातों को भी ब्लॉक कर दिया गया है.

अथवा

* _____रेलवे के पीआईए द्वारा दिनांक_____ के "पीपीएससी सं._____के स्थान पर पुष्टि नोट" के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती_____, पदनाम_____, ऊपर भाग-I में उल्लिखित कर्मचारी की पत्नी/पति ने चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात् _____ के लिए उनको देय कोई सुविधा पास नहीं लिया है और उनका पास खाता सं._____ भी ब्लॉक कर दिया गया है.

पी. आई. ए
मुहर और तारीख

* **जो लागू नहीं हो, उसे काट दें.**

श्री/श्रीमती_____
पदनाम_____

अनुलग्नक-III

सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (पीपीएससी) के लिए आवेदन

मैं मौजूदा सीसीएस(एलटीसी) नियमों के तहत "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" (एआईएलटीसी) सुविधा लेने के लिए इच्छुक हूँ और अनुरोध करता हूँ कि मेरे सुविधा पास खाता सं._____ को ब्लॉक कर दिया जाए और मुझे पीपीएससी जारी किया जाए. यह पुष्टि की जाती है कि मैंने चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात_____ के लिए मुझे देय कोई भी सुविधा पास नहीं लिया है.

* यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति किसी सरकारी संगठन/रेलवे स्थापना में कार्यरत नहीं हैं.
* यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पति/मेरी पत्नी श्री/श्रीमती_____ भी इस कार्यालय में कार्यरत हैं और उन्होंने चालू कैलेण्डर वर्ष में कोई भी सुविधा पास नहीं लिया है और उनका पीपीए सं._____ भी ब्लॉक कर दिया जाए.

(इस मामले में पति/पत्नी भी संयुक्त आवेदक के रूप में आवेदन पर हस्ताक्षर अवश्य करें)

* यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पति/मेरी पत्नी श्री/श्रीमती_____, _____रेलवे में _____के रूप में कार्यरत हैं और उनके पीआईए द्वारा पीपीएससी के स्थान पर जारी किया गया पुष्टि नोट संलग्न है.
* यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पति/मेरी पत्नी श्री/श्रीमती_____, _____ में (गैर-रेलवे विभाग का नाम) _____के रूप में(पदनाम) कार्यरत हैं और उन्होंने चालू ब्लॉक वर्ष के दौरान अपने विभाग से एलटीसी सुविधा प्राप्त नहीं की है.
* यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पति/मेरी पत्नी श्री/श्रीमती_____, _____ में (गैर-रेलवे विभाग का नाम) _____के रूप में(पदनाम) कार्यरत हैं और मैं उनके विभाग से एलटीसी सुविधा प्राप्त करने का/की इच्छुक हूँ.

मैं यह वचन देता हूँ कि पीपीएससी के जारी होने के बाद, मैं इसे रद्द करने और अपने सुविधा पास खाते को पुनः चालू करने के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं करूंगा/करूंगी.

हस्ताक्षरः_____
नामः_____
पदनामः_____
कार्यालयः_____
फोन नं._____
तारीखः_____

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें.

पास अनुभाग/ रेलवे

.....पावती.....

(हस्ताक्षर करके कर्मचारी को वापस करने हेतु)

श्री/श्रीमती_____ से दिनांक_____ का आवेदन सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाण पत्र (पीपीएससी) जारी करने के लिए दिनांक_____ को प्राप्त हुआ .

पी. आई. ए
मुहर और तारीख

अनुलग्नक-IV

पीपीएससी/पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट
के संबंध में आवेदन रद्द/स्वीकार न करने के बारे में सूचना

रेलवे बोर्ड/ रेलवे

सं._____ **दिनांक:**_____

आपके पास खाता सं._____ से यह पता चलता है कि आपने, चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात् _____ में सुविधा पास (पासों) का_____सेट (सेटों) का पहले ही उपयोग कर लिया है और मौजूदा नियमों के अनुसार आप पीपीएससी/पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट जारी किए जाने के हकदार नहीं हैं. तदनुसार, आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है.

पी. आई. ए
मुहर और तारीख

श्री/श्रीमती_____
पदनाम_____

अनुलग्नक-V

रेलवे बोर्ड/ रेलवे

पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट (सीएन)

सं._____ दिनांक:_____

यह पुष्टि की जाती है कि श्री/श्रीमती_____,पदनाम_____, सुविधा पास खाता सं._____ ने चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात_____ के लिए उनको देय कोई भी सुविधा पास नहीं लिया है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नाम के कर्मचारी का सुविधा पास खाता सं._____ कैलेंडर वर्ष_____ के लिए ब्लॉक कर दिया गया है.

पी. आई. ए
मुहर और तारीख

श्री/श्रीमती_____
पदनाम_____

अनुलग्नक-VI

"पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट" के लिए आवेदन

मैं अपने पति/पत्नी श्री/श्रीमती_____,पदनाम_____जो_____(रेलवे) में कार्यरत हैं, के कार्यालय से "एआईएलटीसी" सुविधा लेने के लिए इच्छुक हूँ और इस संबंध में मुझे "पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट" जारी किया जाए. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने चालू कैलेण्डर वर्ष अर्थात् _____ के लिए मुझे देय कोई भी सुविधा पास नहीं लिया है.

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि "पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट" जारी होने के बाद, मैं इसे रद्द करने और मेरे सुविधा पास खाते को पुनः चालू करने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं करूंगा/करूंगी.

हस्ताक्षरः_____
नामः_____
पदनामः_____
कार्यालयः_____
फोन नं._____
तारीखः_____

पास अनुभाग/ रेलवे

.....पावती.....

(हस्ताक्षर करके कर्मचारी को वापस करने हेतु)

श्री/श्रीमती_____ से दिनांक_____ का पीपीएससी के स्थान पर पुष्टि नोट जारी करने के लिए आवेदन दिनांक_____ को प्राप्त हुआ.

पी. आई. ए
मुहर और तारीख

अनुलग्नक – VII

सं. 31011/7/2013-स्था.(क-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (क-IV)

नई दिल्ली: 26 सितम्बर, 2014

नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली-110001

कार्यालय ज्ञापन

नव नियुक्तियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पात्रता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने संस्तुति दी थी कि केंद्र सरकार के 'नव-नियुक्तों' को चार वर्ष के एक ब्लॉक के दौरान तीन बार अपने परिवार के साथ अपने गृह नगर की यात्रा तथा चौथी बार भारत में किसी जगह की यात्रा करने की अनुमति होगी। इस संस्तुति को सरकार ने स्वीकार किया और डीओपीटी के 23 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/4/2008-स्था.(क) के द्वारा आदेश जारी किए गए।

2. इस विभाग के पास विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कई संदर्भ प्राप्त होते हैं जिसमें नव-नियुक्तों की वर्षवार एलटीसी पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर निम्नानुसार हैं:

प्रश्न 1. किसी नव नियुक्त की एलटीसी पात्रता क्या है?

उत्तर: केंद्रीय सरकार के नव-नियुक्तों को चार वर्ष के एक ब्लॉक के दौरान तीन बार अपने परिवार के साथ अपने गृह नगर की यात्रा तथा चौथी बार भारत में किसी जगह की यात्रा के लिए अनुमति होगी। यह सुविधा केंद्र सरकार में पहली बार नियुक्त होने के बाद केवल नवनियुक्तों को चार-चार वर्ष के प्रथम दो ब्लॉकों में उपलब्ध होगी।

प्रश्न 2. नव नियुक्त के लिए चार वर्षों के दो ब्लॉक किस प्रकार लागू होते हैं?

उत्तर: चार वर्षों का प्रथम दो ब्लॉक सरकारी नौकरी में नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से लागू होगा भले ही जब सरकारी कर्मचारी ने बाद में सरकार के अंदर नौकरी बदली हो। तथापि, सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 7 के अनुसार किसी नव-

नियुक्त की एलटीसी पात्रता की गणना उसकी एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने की तिथि से प्रभावी होकर कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी।

प्रश्न 3. क्या नव-नियुक्तियों के संबंध में चार वर्ष के एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2010-13, 2014-17 वाले नियमित ब्लॉक के समान ही हैं?

उत्तर: नहीं। नव-नियुक्तों के चार वर्षों वाले प्रथम दो ब्लॉक उनके मामले में वैयक्तिक रूप से लागू होंगे। एलटीसी के 8 वर्ष पूरे होने के बाद उनको 2014-17 एवं 2018-21 आदि जैसे निर्धारित ब्लॉकों के अनुसार अन्य नियमित एलटीसी लाभार्थियों के समान समझा जाएगा।

प्रश्न 4. यदि कोई नव-नियुक्त एलटीसी की सुविधा किसी वर्ष नहीं ले पाता है/ले पाती है तो क्या वह इसे अगले वर्ष ले सकता है/ले सकती है।

उत्तर: नहीं। नव-नियुक्तों के मामले में एलटीसी को अगले वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि वह पहले से ही प्रतिवर्ष एलटीसी प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। अतः यदि कोई नव-नियुक्त किसी वर्ष एलटीसी सुविधा नहीं ले पाता है तो उस वर्ष की समाप्ति पर उसका एलटीसी समाप्त समझा जाएगा।

प्रश्न सं. 5. नव नियुक्त की एल.टी.सी. पात्रता की हकदारी का लाभ उसके आठ वर्ष की सेवा की समाप्ति पश्चात कैसे उठाया जाएगा ?

उत्तर : (क) सेवा के आठ वर्ष की समाप्ति के उपरांत, जब नव नियुक्तों का अगला एल.टी.सी. चक्र पहले से चल रहे चार वर्षीय ब्लॉक (2014-17) के दूसरे दो वर्ष के ब्लॉक के आरंभ के साथ शुरू होगा (जैसे 2016-17), वह केवल 'गृह नगर' एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा यदि उसने आठवें वर्ष में 'भारत के किसी स्थान' की एल.टी.सी. चक्र का पहले से चल रहे दो वर्षीय ब्लॉक (उदाहरनार्थ : 2016-17 का 2017) के दूसरे वर्ष के साथ शुरू होगा, तो वे उस वर्ष एल.टी.सी. का पात्र नहीं होगा। विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण 1 एवं 3 का संदर्भ लें।

(ख) एल.टी.सी. के आठवें वर्ष की समाप्ति के उपरांत जब किसी नव नियुक्त के नए एल.टी.सी. चक्र का मेल नियमित चार वर्षीय ब्लॉक के आरंभ के साथ शुरू होगा। तब उनके नियमित ब्लॉक की पात्रता का प्रयोग सामान्य एल.टी.सी. नियम के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण 2 का संदर्भ लें।

प्रश्न 6. किसी वर्ष के 31 दिसम्बर को सेवा में कार्यग्रहण करने के मामले में किसी नव नियुक्त की एल.टी.सी. पात्रता की गणना कैसे की जाएगी ?

उत्तर : कोई नव नियुक्त जो किसी वर्ष के 31 दिसम्बर की तारीख को सरकारी सेवा में कार्यक्रहण करता है तो वह अगले वर्ष की 31 दिसम्बर की तारीख से प्रभावी होकर एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा। चूंकि 31 दिसम्बर किसी कैलेन्डर वर्ष की अंतिम तिथि होती है, इसलिए उसके एल.टी.सी. लेने का प्रथम अवसर उस वर्ष के साथ समाप्त हो जाता है। तदनुसार, वह अपने प्रथम गृह नगर एल.टी.सी. का उपयोग उस वर्ष की अंतिम तारीख पर कर सकता है। अगले वर्ष से वह शेष सात एल.टी.सी. के लिए पात्र रहेगा। उदाहरण 3 का संदर्भ लें।

प्रश्न 7. 1.9.2008 से पूर्व सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने वाले किसी नव नियुक्त की पात्रता की गणना किस प्रकार की जाएगी ?

उत्तर : नव नियुक्त जिसने 1.9.2008 (यानी इस योजना के आरंभ से पहले) से सरकारी सेवा में कार्यग्रहण किया हो तथा जिसने 1.9.2008 को अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष पूरे न किए हों, वह इस रियायत के लिए अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष के पूरा होने की शेष समयावधि तक के लिए एल.टी.सी. का पात्र होगा। उदाहरण 4 का संदर्भ लें।

प्रश्न 8. क्या वह नव नियुक्त, जिसका गृह नगर एवं मुख्यालय एक ही हो, गृह नगर के लिए एल.टी.सी. का उपयोग कर सकेगा ?

उत्तर : नहीं। नव नियुक्त, जिसका गृह नगर एवं मुख्यालय एक ही हो, गृह नगर के लिए एल.टी.सी. का उपयोग नहीं कर सकता है। वह भारत के किसी स्थान के लिए केवल चौथे एवं आठवें अवसर पर एल.टी.सी. का उपयोग कर सकता है। सीसीएस (एल.टी.सी.) नियम 1988 के नियम 8 के अनुसार, गृह नगर के लिए एल.टी.सी. सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय एवं गृह नगर दो अलग-अलग स्थान होने चाहिए।

ह0/-

(बी. बंधोपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : (011) 23040341

उदाहरण

उदाहरण1:

एक कर्मचारी सेवा में 1 सितम्बर, 2008 को कार्यग्रहण करता है। सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह एल.टी.सी. के लिए 1 सितम्बर, 2009 (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने के उपरांत) से पात्र हो जाएगा। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

	एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर	
	01.09.2008 –31.08.2009	शून्य	-	
	01.09.2009 – 31.12.2009	गृह नगर	प्रथम	चार वर्षों
	01.01.2010 – 31.12.2010	गृह नगर	द्वितीय	का पहला
	01.01.2011 – 31.12.2011	गृह नगर	तृतीय	ब्लॉक
	01.01.2012 – 31.12.2012	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ	
	01.01.2013 – 31.12.2013	गृह नगर	पंचम	
	01.01.2014 7 31.12.2014	गृह नगर	षष्टम	चार वर्षों
वर्तमान	01.01.2015 – 31.12.2015	गृह नगर	सप्तम	का दूसरा
ब्लॉक	01.01.2016 – 31.12.2016	भारत में किसी भी जगह	अष्टम	ब्लॉक
	01.01.2017 – 31.12.2017	शून्य	-	
	01.01.2018 – 31.12.2021	नया एल.टी.सी. ब्लॉक	-	

स्पष्टीकरणः (i) प्रथम 8 वर्ष की समाप्ति के उपरांत, जब नवनियुक्त चार कैलेन्डर वर्ष (उदा.2014-17) के नियमित वर्तमान ब्लॉक के बीच में पहुंचता है, जहां नवनियुक्त का नया एल.टी.सी. चक्र वर्तमान दो वर्षीय ब्लॉक के दूसरे वर्ष (उदा. 2016-17 का विसारित वर्ष 2017 के साथ शुरू होती है, तब वह उस वर्ष (यानी वर्ष 2017) एल.टी.सी. के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii) उपर्युक्त से यह पता चलता है कि किसी नवनियुक्ति के लिए एल.टी.सी. पात्रता नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने की तारीख से प्रभावी होकर कैलेन्डर वर्षवार गणना की जाती है।

उदाहरण2:

एक कर्मचारी सेवा में 1 जनवरी, 2009 को कार्यग्रहण करता है। सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह 1 जनवरी, 2009 (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने पर) एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर
01.09.2009 – 31.12.2009	शून्य	-
01.01.2010 – 31.12.2010	गृह नगर	प्रथम
01.01.2011 – 31.12.2011	गृह नगर	द्वितीय
01.01.2012 – 31.12.2012	गृह नगर	तृतीय
01.01.2013 – 31.12.2013	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ
01.01.2014 7 31.12.2014	गृह नगर	पंचम
01.01.2015 – 31.12.2015	गृह नगर	षष्टम
01.01.2016 – 31.12.2016	गृह नगर	सप्तम
01.01.2017 – 31.12.2017	भारत में किसी भी जगह	अष्टम
01.01.2018 – 31.12.2021	नया एल.टी.सी. ब्लॉक	-

स्पष्टीकरण: (i) एल.टी.सी. के आठवें वर्ष की समाप्ति के उपरांत, जब नवनियुक्त का एल.टी.सी. चक्र नियमित चार वर्षीय ब्लॉक के आरंभ के साथ शुरू होता है, तब नियमित ब्लॉक में उसकी पात्रता का प्रयोग नियमित एल.टी.सी. नियम के अनुसार किया जाएगा।

उदाहरण 3:

एक कर्मचारी सेवा में 31 दिसम्बर, 2011 को कार्यग्रहण करता है, सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह 31 दिसम्बर, 2012 से प्रभावी होकर एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने पर)। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर	
31.01.2011-30.12.2012	शून्य	--	
31.12.2012	गृह नगर	प्रथम	
01.01.2013-31.12.2013	गृह नगर	द्वितीय	
01.01.2014-31.12.2014	गृह नगर	तृतीय	
01.01.2015-31.12.2015	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ	
01.01.2016-31.12.2016	गृह नगर	पंचम	
01.01.2017-31.12.2017	गृह नगर	षष्टम	वर्तमान
01.01.2018-31.12.2018	गृह नगर	सप्तम	ब्लॉक
01.01.2019-31.12.2019	भारत में किसी भी जगह	अष्टम	(2018-
01.01.2020-31.12.2021	गृह नगर	--	
01.01.2022-31.12.2025	नया एल.टी.सी. ब्लॉक	--	

स्पष्टीकरण:

(i) एक नवनियुक्त जो किसी साल में 31 दिसम्बर को कार्य ग्रहण करेगा वह अगले वर्ष के 31 दिसम्बर से एलटीसी का पात्र होगा। चूंकि 31 दिसम्बर उस कैलेण्डर वर्ष की आखिरी तिथि है, इसलिए उसका एलटीसी का पहला अवसर उस वर्ष में समाप्त हो जाएगा।अतः वह अपना गृह नगर एलटीसी का उपयोग सिर्फ उस दिन (अर्थात 31 दिसम्बर) कर सकताहै। अगले साल से वह शेष, सात एलटीसी का उपयोग कर सकता है।

(ii) आठ साल की सेवा समाप्त होने के उपरांत जब नवनियुक्ति का अगला एलटीसी चक्र, वर्तमान चार वर्ष ब्लॉक (2018-2021) के दूसरे दो वर्ष (अर्थात् 2020-2021) के आरंभ के साथ होता है, तो वह उस ब्लॉक में सिर्फ गृह नगर एलटीसी का पात्र होगा यदि उसने आठवें वर्ष में "भारत में किसी जगह" एलटीसी का उपयोग किया है, यदि उस नवनियुक्त ने अपने आठवें वर्ष में एलटीसी को त्याग दिया है, तो वह आगामी दो वर्ष ब्लॉक (2018-2021) में या "भारत में किसी जगह" या "गृह नगर" एलटीसी का उपयोग करने का चयन कर सकता है।

उदाहरण 4:

एक कर्मचारी सेवा में 10 मई, 2006 को कार्यग्रहण करता है। सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह 10 मई, 2007 (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने पर) से एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर
10.05.2006-09.05.2007	शून्य	--
10.05.2007-31.12.2007	गृह नगर/ भारत में किसी भी जगह	प्रथम
01.01.2008-31.12.2008	गृह नगर	द्वितीय
01.01.2009-31.12.2009	गृह नगर	तृतीय
01.01.2010-31.12.2010	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ
01.01.2011-31.12.2011	गृह नगर	पंचम
01.01.2012-31.12.2012	गृह नगर	षष्टम
01.01.2013-31.12.2013	गृह नगर	सप्तम
01.01.2014-31.12.2014	भारत में किसी भी जगह	अष्टम
01.01.2015-31.12.2015	शून्य	--
01.01.2016-31.12.2016	गृह नगर	--

स्पष्टीकरण

नवनियुक्त जिने 1-9-2008 (यानी इस योजना के आरंभ से पहले) से पहले सरकारी सेवा में कार्यग्रहण किया हो तथा जिसने 1-9-2008 को अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष पूरे न किए हों, वह इस रियायत के लिए अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष पूरा होने की शेष समयावधि के लिए पात्र होगा।

अनुलग्नक – VIII

सं.19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना।

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों की यात्रा भत्ता हकदारी के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यात्रा भत्ते की दरों में, इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में यथा-वर्णित पुनरीक्षण का विनिश्चय करते हैं।

2. यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के निर्धारण के लिए 'वेतन लेवल' केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 में किए गए उल्लेख के अनुसार है।

3. इन आदेशों के प्रयोजनार्थ "लेवल में वेतन" का मतलब है- केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3(8) में यथा-परिभाषित वेतन मैट्रिक्स में उपयुक्त वेतन लेवल में आहरित मूल वेतन और इसमें प्रैक्टिसबंदी भत्ता, सैन्य सेवा वेतन या कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं हैं।

4. तथापि, अब निर्धारित की गई पुनरीक्षित हकदारियों के अनुसार यात्रा भत्ता संबंधी हकदारियों से यदि किसी कर्मचारी, कर्मचारियों के समूहों या वर्गों के मामले में विद्यमान हकदारियां निम्नतर हो जाती हैं तो ये हकदारियां, विशेष रूप से यात्रा के साधन, यात्रा-सुविधा के वर्ग आदि संबंधी हकदारियां निम्नतर नहीं की जाएंगी। इसके बजाय उन कर्मचारियों पर, इस विषय में पूर्व आदेश तब तक लागू बने रहेंगे जब तक वे उच्चतर हकदारियों के लिए, सामान्य प्रक्रिया में, पात्र नहीं हो जाते।

5. 01 जुलाई, 2017 को अथवा उसके बाद की गई यात्रा के संबंध में प्रस्तुत दावे इन आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएं। 01 जुलाई, 2017 से पहले की गई यात्राओं के संबंध में, दावे दिनांक 23.09.2008 के पिछले आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएं।

6. यह नोट किया जाए कि यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की हकदारियों के पुनरीक्षण के कारण कोई अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी यात्रा के लिए अनुमति विवेकपूर्वक प्रदान की जाए और पूर्णतः अनिवार्य शासकीय आवश्यकताओं तक सीमित रखी जाए।

7. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

8. सशस्त्र बल कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

(निर्मला दैव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

अनुबंध

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 10 जुलाई, 2017
के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017- ई.IV का अनुबंध

यात्रा भत्ते के संबंध में, व्यय विभाग के 23 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.19030/3/2008-ई.IV का अधिक्रमण करते हुए 01.07.2017 से निम्नलिखित प्रावधान लागू हो गए हैं:

2 <u>दौरे पर या प्रशिक्षण के दौरान यात्राओं के लिए हकदारियां</u>

क.(i) देश के अंदर यात्रा हकदारियां

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	यात्रा हकदारी
14 और उससे ऊपर	हवाई जहाज से बिजनेस/क्लब क्लास अथवा रेलगाड़ी से एसी-I
12 और 13	हवाई जहाज से इकोनॉमी क्लास अथवा रेलगाड़ी से एसी-I
6 से 11	हवाई जहाज से इकोनॉमी क्लास अथवा रेलगाड़ी से एसी-II
5 और उससे नीचे	रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी/एसी-III/एसी चेयर कार

(ii) यह भी विनिश्चय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दौरे पर/प्रशिक्षण के दौरान, प्रीमियम रेलगाड़ियों/प्रीमियम तत्काल रेलगाड़ियों/सुविधा रेलगाड़ियों से यात्रा करने, टिकट बुक करने के लिए प्रीमियम तत्काल प्रभारों और शताब्दी/राजधानी/दुरंतो रेलगाड़ियों में डाइनैमिक/फ्लेक्सी-फेयर की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए। तत्काल सेवा प्रभार, जो कि नियत किराया है, की प्रतिपूर्ति किया जाना जारी रहेगा। प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो रेलगाड़ियों से यात्रा के लिए यात्रा हकदारी इस प्रकार होगी:-

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो रेलगाड़ियों में यात्रा हकदारियां
12 और उससे ऊपर	एक्जीक्यूटिव/एसी प्रथम श्रेणी (प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो रेलगाड़ियों के मामले में, उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के अनुसार)
6 से 11	एसी द्वितीय श्रेणी/चेयर कार (शताब्दी रेलगाड़ियों में)
5 और उससे नीचे	एसी तृतीय श्रेणी/चेयर कार

(iii) पुनरीक्षित यात्रा हकदारियां निम्नलिखित के अध्यधीन हैं:-

(क) उन स्थानों के मामले में, जो रेल से जुड़े नहीं हैं, रेलगाड़ी से एसी II टियर और उससे ऊपर की श्रेणी में यात्रा करने के हकदार सभी कर्मचारियों को एसी बस और अन्य कर्मचारियों को डीलक्स/साधारण बस से यात्रा की अनुमति दी जाती है।

(ख) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के संबंध में, सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि कुल किराया पात्र श्रेणी में रेलगाड़ी के किराए से अधिक न हो।

(ग) सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी यात्रा के लिए खरीदी गई टिकटों पर अर्जित किए गए सभी माइलेज प्वाइंट संबंधित विभाग द्वारा अपने अधिकारियों की अन्य सरकारी यात्रा के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। किसी अधिकारी द्वारा इन माइलेज प्वाइंटों का निजी यात्रा के लिए उपयोग करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसा, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सरकारी यात्रा, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित होती है, से प्राप्त लाभों का उपार्जन सरकार को ही हो।

(घ) पात्र श्रेणी में सीटें उपलब्ध न होने पर, सरकारी कर्मचारी अपनी पात्र श्रेणी से नीचे वाली श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं।

ख. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हकदारी :

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	यात्रा हकदारी
17 और उससे ऊपर	प्रथम श्रेणी
14 से 16	बिजनेस/क्लब क्लास
13 और उससे नीचे	इकोनॉमी क्लास

ग. समुद्री अथवा नदी स्टीमर से यात्राओं के लिए हकदारी

(i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह से भिन्न स्थानों के लिए:-

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	यात्रा हकदारी
9 और उससे ऊपर	उच्चतम श्रेणी
6 से 8	निचली श्रेणी यदि स्टीमर पर दो ही श्रेणियां हों
4 और 5	यदि केवल दो श्रेणियां हों, तो निचली श्रेणी। यदि तीन श्रेणियां हों, तो मध्यम अथवा दूसरी श्रेणी। यदि चार श्रेणियां हों, तो तीसरी श्रेणी।
3 और उससे नीचे	सबसे निचली श्रेणी

(ii) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जलयानों से मुख्यभूमि और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूह के बीच यात्रा के लिए:-

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	यात्रा हकदारी
9 और उससे ऊपर	डीलक्स श्रेणी
6 से 8	प्रथम/'ए' केबिन श्रेणी
4 और 5	द्वितीय/'बी' केबिन श्रेणी
3 और उससे नीचे	बंक श्रेणी

घ. सड़क से यात्रा के लिए मील भत्ता:

(i) ऐसे स्थान जहां विशिष्ट दरें निर्धारित की गई हैं:-

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	हकदारी
14 अथवा उससे ऊपर	वातानुकूलित बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया अथवा वातानुकूलित टैक्सी की निर्धारित दरों पर जब यात्रा वास्तव में वातानुकूलित टैक्सी से की गई हो अथवा ऑटो रिक्शा, अपनी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि से यात्राओं हेतु ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर
6 से 13	वही दरें जो ऊपर दी गई हैं इस अपवाद के साथ कि वातानुकूलित टैक्सी से यात्राएं अनुमन्य नहीं होंगी

4 और 5	वातानुकूलित बस को छोड़कर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया **अथवा** ऑटो रिक्शा, अपनी कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि से यात्राओं हेतु ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर
3 और उससे नीचे	केवल साधारण सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया **अथवा** ऑटो रिक्शा, अपने स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि से यात्राओं हेतु ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दरों पर

(ii) **ऐसे स्थान जहां संबंधित राज्य अथवा पड़ोसी राज्यों के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं:**

अपनी कार/टैक्सी से की गई यात्राओं के लिए	24/- रुपए प्रति किमी
ऑटो रिक्शा, अपने स्कूटर आदि से की गई यात्राओं के लिए	12/- रुपए प्रति किमी

ऐसे स्थान जहां कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोत्तरी होने पर प्रति किलोमीटर दर 25% और बढ़ जाएगी।

ड.(I). दौरे पर दैनिक भत्ता

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	हकदारी
14 और उससे ऊपर	होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 7,500/- रुपए तक प्रतिपूर्ति, शहर के अंदर यात्रा के लिए सरकारी कार्यों के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, और प्रति दिन अधिकतम 1200/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।
12 और 13	होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 4,500/- रुपए तक प्रतिपूर्ति, शहर के अंदर यात्रा के लिए 50 किमी तक के वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, प्रति दिन अधिकतम 1000/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।
9 से 11	होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 2,250/- रुपए तक प्रतिपूर्ति, शहर के अंदर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338/- रुपए तक के गैर-वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, प्रति दिन अधिकतम 900/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।
6 से 8	होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 750/- रुपए तक प्रतिपूर्ति, शहर के अंदर यात्रा के लिए प्रतिदिन 225/- रुपए तक के गैर-वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, प्रति दिन अधिकतम 800/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।
5 और उससे नीचे	होटल आवास/अतिथिगृह के लिए प्रतिदिन 450/- रुपए तक प्रतिपूर्ति, शहर के अंदर यात्रा के लिए प्रतिदिन 113/- रुपए तक के गैर-वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, प्रति दिन अधिकतम 500/- रुपए के भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति।

(ii) **होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति:-** लेवल 8 और उससे निचले लेवल के लिए, दावे की राशि (ऊपरी सीमा तक) का भुगतान वाउचर प्रस्तुत किए बिना स्व-प्रमाणित दावे पर ही कर दिया जाएगा। स्व-प्रमाणित दावे में ठहरने की अवधि, आवास स्थल के नाम आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 'एक्स' वर्ग शहरों में ठहरने के लिए, लेवल 8 तक के सभी कर्मचारियों के लिए ऊपरी सीमा 1,000/- रुपए प्रति दिन होगी, किंतु यह राशि संगत वाउचर प्रस्तुत किए जाने पर केवल प्रतिपूर्ति के रूप में होगी। जब महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तब प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा 25% और बढ़ जाएगी।

(iii) **यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति:-** ठहरने के लिए आवास प्रभारों की प्रतिपूर्ति की ही तरह, लेवल 8 और उससे निचले लेवलों के लिए, दावे (उपरि सीमा तक) का भुगतान वाउचर प्रस्तुत किए बिना स्व-प्रमाणित दावे पर ही कर दिया जाएगा। स्व-प्रमाणित दावे में यात्रा की अवधि, वाहन की संख्या आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। जब महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तब लेवल 11 और उससे निचले लेवल के लिए ऊपरी सीमा 25% और बढ़ जाएगी। पैदल की गई यात्रा के लिए, 12/- रुपए प्रति किमी का एक अतिरिक्त भत्ता देय होगा। जब महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तब यह दर 25% और बढ़ जाएगी।

(iv) **भोजन प्रभारों की प्रतिपूर्ति:-** भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति अलग से नहीं की जाएगी। इसके बजाय उपर्युक्त तालिका ड.(i) के अनुसार एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, और मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि पर निर्भर करते हुए इसे निम्नलिखित तालिका (v) के अनुसार विनियमित किया जाएगा। चूंकि प्रतिपूर्ति की संकल्पना समाप्त कर दी गई है, इसलिए कोई वाउचर अपेक्षित नहीं होंगे। यह पद्धति भारतीय रेलवे द्वारा इस समय अपनाई जा रही पद्धति (दरों में उचित वृद्धि के साथ) अर्थात् देय एकमुश्त राशि के अनुरूप है। जब महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तब यह एकमुश्त राशि 25% और बढ़ जाएगी।

(v) <u>समय सीमाएं</u>

अनुपस्थिति की अवधि	देय राशि
यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घंटे से कम है	एकमुश्त राशि का 30%
यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6-12 घंटे के बीच है	एकमुश्त राशि का 70%
यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घंटे से अधिक है	एकमुश्त राशि का 100%

मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि की गणना मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक और दिन-प्रतिदिन आधार पर की जाएगी।

(vi) भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि जैसे संगठनों में वैज्ञानिक/डाटा एकत्र करने के प्रयोजनों से सरकारी जलयानों, नौकाओं आदि से यात्रा करने/ठहरने अथवा सुदूर स्थलों की यात्रा पैदल/खच्चरों से करने के मामले में दैनिक भत्ते का भुगतान, भोजन बिल की प्रतिपूर्ति की दर के समान दर पर किया जाएगा। तथापि, इस मामले में यह राशि, इस मद में हुए वास्तविक व्यय पर ध्यान दिए बिना विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन से संस्वीकृत कर दी जाएगी।

टिप्पणी: विदेश यात्रा के लिए महंगाई भत्ते की दरें विदेश मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित दरों से विनियमित की जाएंगी।

3. <u>स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता</u>

स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते में चार घटक शामिल हैं:- (i) अपने एवं परिवार के लिए यात्रा हकदारी (ii) संयुक्त स्थानांतरण एवं पैकिंग अनुदान (iii) निजी सामान के ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति (iv) वाहन के ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

(i) **यात्रा हकदारियां:**

(क) अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को छोड़कर उपर्युक्त पैरा 2 में दौरे के लिए यथा-निर्धारित यात्रा हकदारियां स्थानांतरण पर यात्राओं के मामले में लागू होंगी। तथापि, एसआर 114 में निर्धारित स्वीकार्यता की सामान्य शर्तें लागू बनी रहेंगी।

(ख) वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/2/98-आईसी एवं 17 अप्रैल, 1998 की फा.सं. 19030/2/97-ई.IV के अनुबंध के पैरा 4(क) में यथा-वर्णित छोटे परिवार के मानदंडों से संबंधित प्रावधान लागू बने रहेंगे।

(ii) **संयुक्त स्थानांतरण एवं पैकिंग अनुदान:**

(क) ऐसे स्थानांतरण के मामले में जिसमें एक दूसरे से 20 कि.मी. अथवा उससे अधिक की दूरी पर अवस्थित स्टेशन का परिवर्तन शामिल है, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन के 80% की दर से किया जाएगा। तथापि, अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपीय क्षेत्रों को और उनसे स्थानांतरण के लिए संयुक्त स्थानांतरण अनुदान का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन के 100% की दर से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के लिए हकदारी निर्धारित करते समय प्रैक्टिसबंदी भत्ता और सैन्य सेवा वेतन को मूल वेतन के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) ऐसे स्टेशनों के लिए स्थानांतरण के मामलों में जो पुराने स्टेशन से 20 कि.मी. से कम की दूरी पर हैं और उसी शहर में स्थानांतरण के मामले में एक तिहाई संयुक्त स्थानांतरण अनुदान स्वीकार्य होगा बशर्ते कि इसमें वास्तव में आवास परिवर्तन किया गया हो।

(ग) ऐसे मामलों में जहां पति एवं पत्नी का स्थानांतरण छह माह के अंदर परन्तु पत्नी/पति के स्थानांतरण के 60 दिन के बाद होता है, वहां स्थानांतरण पर स्थानांतरण अनुदान का 50 प्रतिशत बाद में स्थानांतरित पत्नी/पति को दिया जाएगा। यदि दोनों के स्थानांतरण आदेश 60 दिन के अंदर किए जाते हैं, तो बाद में स्थानांतरित पत्नी/पति के लिए कोई स्थानांतरण अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। छह माह अथवा उससे अधिक अवधि के बाद किए जाने वाले स्थानांतरण के मामले में विद्यमान प्रावधान लागू बने रहेंगे। अपने अनुरोध पर स्थानांतरण अथवा जनहित से भिन्न स्थानांतरण के मामले में स्थानांतरण अनुदान पर रोक लगाने वाले अन्य नियम उनके मामले में अपरिवर्तित रूप में लागू बने रहेंगे।

(iii) **निजी सामान की ढुलाई**

लेवल	रेलगाड़ी/स्टीमर से	सड़क से
12 और उससे ऊपर	मालगाड़ी/ 4 पहिया वैगन/1 डबल कंटेनर से 6000 कि.ग्रा.	50/- रुपए प्रति कि.मी.
6 से 11	मालगाड़ी/ 4 पहिया वेगन/1 एकल कंटेनर से 6000 कि.ग्रा.	50/- रुपए प्रति कि.मी.
5	3000 कि.ग्रा.	25/- रुपए प्रति कि.मी.
4 और उससे नीचे	1500 कि.ग्रा.	15/- रुपए प्रति कि.मी.

जब महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तब यह दरें 25% और बढ़ जाएंगी। हकदारी वाले भार की स्टीमर से ढुलाई की दरें, भारतीय नौवहन निगम द्वारा संचालित जलयानों में ऐसी ढुलाई के लिए निर्धारित प्रचलित दरों के बराबर होंगी। प्रतिपूर्ति का दावा सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक रसीदें/वाउचर प्रस्तुत किए जाने पर ही स्वीकार्य होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए स्थानांतरण के मामलों में भी रसीदें/वाउचर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

सड़क से निजी सामान की ढुलाई कि.मी. के आधार पर ही होगी। निजी सामान की ढुलाई के प्रयोजन से नगरों/कस्बों का वर्गीकरण समाप्त किया जा रहा है।

(iv) वाहन की ढुलाई

लेवल	प्रतिपूर्ति
6 और उससे ऊपर	1 मोटरकार आदि अथवा 1 मोटर साईकल/स्कूटर
5 और उससे नीचे	1 मोटर साईकल/स्कूटर/मोपेड/साईकल

तथापि, एसआर 116 में यथा-निर्धारित स्थानांतरण यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता की सामान्य शर्तें लागू बनी रहेंगी।

4 <u>सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की यात्रा भत्ता हकदारी</u>

सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ते में चार घटक शामिल हैं:- (i) अपने एवं परिवार के लिए यात्रा हकदारी (ii) संयुक्त स्थानांतरण एवं पैकिंग अनुदान (iii) निजी सामान के ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति (iv) वाहन ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

(i) यात्रा हकदारियां

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को छोड़कर उपर्युक्त पैरा 2 में दौरे/स्थानांतरण के लिए यथा-निर्धारित यात्रा हकदारियां सेवानिवृत्ति पर यात्राओं के मामले में लागू रहेंगी। तथापि, एसआर 147 में निर्धारित स्वीकार्यता की सामान्य शर्तें लागू बनी रहेंगी।

(ii) संयुक्त स्थानांतरण अनुदान

(क) ऐसे कर्मचारियों जो सेवानिवृत्ति पर अपनी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन/स्टेशनों से 20 कि.मी. अथवा अधिक की दूरी पर अवस्थित स्थानों में बस गए हैं, के मामले में संयुक्त स्थानांतरण अनुदान का भुगतान उनके पिछले माह के मूल वेतन के 80% की दर पर किया जाएगा। तथापि, अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपीय क्षेत्रों में जाकर बसने अथवा वहां से आकर अन्यत्र बसने के मामले में संयुक्त स्थानांतरण अनुदान का भुगतान उनके पिछले माह के मूल वेतन के 100% की दर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करते समय प्रैक्टिसबंदी भत्ता और सैन्य सेवा वेतन को मूल वेतन के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। पुराने और नए स्टेशन पर आवास एवं रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड आदि के बीच यात्राओं के लिए स्थानांतरण संबद्ध खर्च और सड़क भाड़ा पहले से ही संयुक्त स्थानांतरण अनुदान में मिला दिए गए हैं और ये अलग से स्वीकार्य नहीं होंगे।

(ख) जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में है, सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर अथवा 20 कि.मी. से कम की दूरी पर बस जाते हैं, को एक तिहाई संयुक्त स्थानांतरण अनुदान का भुगतान किया जा सकता है बशर्ते कि आवास परिवर्तन वास्तव में किया गया हो।

(iii) निजी सामान की ढुलाई:- उपर्युक्त पैरा 3(iii) के समान।

(iv) वाहन की ढुलाई:- उपर्युक्त पैरा 3(iv) के समान।

तथापि, एसआर 147 में यथा-निर्धारित सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता की सामान्य शर्तें लागू बनी रहेंगी।

******

अनुलग्नक -IX

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 19 सितंबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के उपरांत एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा-पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 के का.ज्ञा.सं. 31011/4/2008-स्था-क-IV का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि सरकारी दौरे/स्थानांतरण अथवा एलटीसी के उद्देश्य से यात्रा पात्रताएं पूर्ववत रहेंगी किंतु एलटीसी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा, यह सुविधा केवल सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के संबंध में ही स्वीकार्य होगी।

2. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की यात्रा भत्ता पात्रताओं से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 19030/1/2017-ई- IV के तहत यात्रा भत्ता (टीए) नियमों में परिवर्तन किया गया है।

3. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा की पात्रता; जिसकी केवल यात्रा भत्ता (टीए) के संबंध में ही अनुमति है न कि एलटीसी के लिए; को छोड़कर एलटीसी के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा पात्रताएं, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. के तहत यथाअधिसूचित यात्रा भत्ता पात्रताओं के समान ही रहेंगी।

4. इसके अलावा, निम्नलिखित शर्तों को भी ध्यान में रखा जाए:

i. एलटीसी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
ii. किसी आकस्मिक व्यय तथा स्थानीय यात्राओं पर किया गया व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।
iii. एलटीसी के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के संबंध में ही स्वीकार्य होगी।
iv. परिवहन के किसी सार्वजनिक/सरकारी साधन से नहीं जुड़े हुए स्थानों के मध्य यात्रा के मामले में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर निजी/व्यक्तिगत परिवहन

कवर की गई अधिकतम 100 किमी. की सीमा के लिए स्थानांतरण पर यात्रा हेतु उसकी पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। इससे अधिक हुए व्यय को सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा।

v. अब, एलटीसी पर प्रीमीयम ट्रेनों/प्रीमीयम तत्काल ट्रेनों/सुविधा ट्रेनों द्वारा करने की अनुमति है। इसके अलावा, एलटीसी के उद्देश्य से, तत्काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी।

vi. एलटीसी पर राजधानी/शताब्दी/दूरंतो ट्रेनों द्वारा की गई यात्रा (यात्राओं) के लिए इन ट्रेनों में लागू फ्लैक्सी फेअर (डायनामिक फेअर) स्वीकार्य होगा। यह डायनामिक फेअर घटक ऐसे मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा, जहां कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जो हवाई जहाज द्वारा यात्रा हेतु पात्र नहीं है वह हवाई जहाज द्वारा यात्रा करे तथा राजधानी/शताब्दी/दूरंतो ट्रेनों की पात्र श्रेणी के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करे।

5. **यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।**

सूर्य नारायण झा
19.9.17

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाईट (का.ज्ञा./आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करें।